

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर-छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771-2537404, टेलीफैक्स 0771-2234731

ई-मेल : deptt.culture@gmail.com वेबसाइट www.cgculture.in

योजना क्रमांक - 01

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग (संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय) के द्वारा अर्थाभावग्रस्त लेखकों, कलाकारों एवं उनके आश्रितों को मासिक वित्तीय सहायता की योजना

- **उद्देश्य** : ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया हो किन्तु अर्थाभावग्रस्त हैं और ऐसे लेखकों/कलाकारों के आश्रितों को, जो अपने परिवारों को असहाय छोड़ गये हैं, मासिक वित्तीय सहायता पहुंचाना।
- **योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र**: इस योजना में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिनका कला अथवा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो, परम्परागत विद्वान अथवा ऐसे व्यक्तियों, की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग बच्चे तथा विशेष परिस्थितियों में आश्रित वृद्ध माता-पिता, नाबालिग भाई-बहन को वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि रु 2000/- प्रतिमाह होगी। जिसका भुगतान संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से किया जाता है।
- **पात्र हितग्राही** :
 - (1) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
 - (2) ऐसा व्यक्ति, जिसका कला एवं साहित्य के प्रति योगदान उल्लेखनीय हो अथवा ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग बच्चे तथा विशेष परिस्थितियों में आश्रित वृद्ध माता-पिता, नाबालिग भाई-बहन वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।
 - (3) आवेदक के समस्त 'साधनों से होने वाली मासिक आय अकेले व्यक्ति के लिए 1200/- रूपए दो सदस्यीय परिवार के लिए 1500/- रूपए तथा तीन या अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 2000/- रूपए से अधिक न हो।
- **मिलने वाले लाभ** : आर्थिक सहायता राशि रु. 2000/- प्रतिमाह तक होगी, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के संबंध में यह सहायता आजीवन होगी।
- **आवेदन की प्रक्रिया** : आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में अपने जिले के कलेक्टर को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कलेक्टर अपनी अध्यक्षता में गठित समिति में प्रकरणों की छानबीन कर आवेदन-पत्रों सहित अपना स्पष्ट अभिमत संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) को भेजेंगे। जिन पर शासन द्वारा गठित कार्यकारी समिति में विचार कर सहायता राशि स्वीकृत या सहायता राशि में वृद्धि की सिफारिश शासन को प्रस्तुत की जावेगी। वित्तीय सहायता की मंजूरी के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।
- **हितग्राही चयन** : जिला कलेक्टर अपने जिले के प्राप्त आवेदन-पत्रों पर जिला स्तरीय समिति में विचार कर अपनी अनुशंसाएं संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय, रायपुर छत्तीसगढ़ को भेजेंगे, जिन पर सहायता स्वीकृति हेतु गठित क्रियान्वयन तथा कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। विशेष मामलों में शासन भी आवश्यक जांच के बाद स्वयं निर्णय ले सकता है।
- **सम्पर्क** : योजना की विस्तृत जानकारी जिले में कलेक्टर और प्रदेश स्तर पर संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्राप्त की जा सकती है।

नवीन आवेदन का प्रारूप
परिशिष्ट - एक (नियम 10)

साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्तियों को जो कि अर्थाभावग्रस्त हो, या उनके आश्रितों को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता योजना का
आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. पूरा नाम
2. स्थायी निवास का पता जन्म तिथि.....
3. कला का विधा
4. स्वयं की वर्तमान

आय और आय के अन्य साधन, यदि कोई हो।

5. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या,
उनसे संबंध, उम्र, व्यवसाय और आय के साधन के ब्यौरे -

नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय	आय और आय के साधन
1	2	3	4	5

6. स्वयं की पत्नी/पति, बच्चों या
आश्रितों के नाम पर होने वाली
अचल सम्पत्ति कहां स्थित है,
उसका क्षेत्रफल और मूल्य तथा
उससे होने वाली आय
 7. स्वयं की, आश्रितों की तथा अचल
सम्पत्ति से होने वाली कुल आय
- (क्र.4, 5 तथा 6 का योग)

8. लेखक या कलाकार द्वारा साहित्य
अथवा परम्परागत कला के क्षेत्र में
किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण (संलग्न करें)
9. लेखक या कलाकार को शासन या
किसी प्रमुख साहित्यिक अथवा कला
संस्था से प्राप्त किसी मान्यता या
सम्मान के ब्यौरे (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. अन्य संगत जानकारी, यदि कोई हो
11. कलेक्टर की अनुशंसा (परिशिष्ट 'क' अनुसार)
12. आय का विवरण संलग्न करें (परिशिष्ट 'ख' अनुसार)

.....

हस्ताक्षर

टीपः

1. प्रत्येक कालम में जानकारी स्पष्ट तथा पूर्ण दी जानी चाहिये।
2. लेखकों के आवेदन पत्रों के साथ उनकी कृतियों, यदि उपलब्ध हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिये।
3. नियमानुसार आवेदक का आयु 60 या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
4. जन्मतिथि प्रमाण पत्र एवं आय संबंधित दस्तावेज प्रमाण-पत्र तथा बैंक पास बुक, पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।
6. अपूर्ण/अधूरे आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

परिशिष्ट-दो
(नियम 7-क)

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, (संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय) की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त व्यक्तियों की आय के सत्यापन/वित्तीय सहायता अवधि के नवीनीकरण के लिए कलेक्टर के मार्फत आवेदन का निर्धारित प्रपत्र

नाम.....आयु.....
पता.....

- वर्तमान में स्वीकृत वित्तीय सहायता राशिमासिक
- वित्तीय सहायता के अलावा अन्य स्रोतों से स्वयं की वर्तमान आमदनी तथा आमदनी के साधन :

स्रोत (1)	आमदनी (2)
--------------	--------------

- चल/अचल संपत्ति से
- पेंशन से
- सम्मान निधि से
- अन्य

- आवेदक पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों की संख्या.....
- आवेदक पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों का विवरण -

क्र.	नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय	आमदनी तथा उसके स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- स्वयं अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम, अचल..... संपत्ति, उसका प्रकार, उपयोग, क्षेत्रफल और उसका मूल्य.....
- क्रमांक 5 में उल्लेखित संपत्ति से होने वाली आमदनी के ब्यौरे.....
- समस्त साधनों से होने वाली आमदनी (क्र.2,4 तथा..... 6 में दर्शायी आमदनी का योग)

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं (नाम).....निवासी.....एतद्
द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त प्रपत्र के पैरा 01 से 07 में दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान
से पूर्ण और सत्य है। अपूर्ण अथवा असत्य जानकारी के आधार पर मुझे प्रदत्त वित्तीय सहायता
राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली योग्य होगी।

स्थान :.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

पूरा नाम व पता.....

.....

.....

कलेक्टर का प्रमाणीकरण

श्री.....द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त जानकारी का सत्यापन
किया गया है। आवेदक को समस्त स्रोतों से कुल आमदनी.....है। आवेदक
की वित्तीय सहायता अवधि का नवीनीकरण किया जा सकता है।

स्थान:.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पद मुद्रा.....

परिशिष्ट-दो
(नियम 7-‘ख’)

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग (संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय) की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त व्यक्तियों की वित्तीय सहायता अवधि के नवीनीकरण/आय के सत्यापन के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र का निर्धारित प्रपत्र

शपथ-पत्र

मैं (नाम).....आत्मज

आयु.....निवासी.....एतद्

द्वारा शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ कि :-

1. मुझे, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग (संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय) की योजना के अंतर्गत.....मासिक वित्तीय सहायता स्वीकृत है।
2. वित्तीय सहायता के अलावा वर्तमान में मुझे निम्नलिखित स्रोतों से कुल रु..... मासिक आमदनी होती है।

स्रोत (1)	आमदनी (2)
(1) चल/अचल संपत्ति से	
(2) पेंशन से	
(3) सम्मान निधि से	
(4) अन्य	

3. मुझ पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों की संख्या है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय	आमदनी तथा उसके स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. मुझे योजना के वर्तमान नियमों के अंतर्गत सहायता की पात्रता है।
5. यदि कोई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो उसके आधार पर मुझे दी गई वित्तीय सहायता राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली योग्य होगी।

.....
(शपथगृहीता)

सत्यापन

मैं (नाम)

निवासी उपरोक्त शपथगृहीता एतद् द्वारा
सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र के पैरा 01 से 05 में दी गई जानकारी मेरे निजी
ज्ञान से पूर्ण एवं सत्य है।

उपर्युक्त शपथ-पत्र दिनांक को

(स्थान) में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

.....

(शपथगृहीता)

अर्थाभावग्रस्त लेखकों, कलाकारों एवं उनके आश्रितों को
मासिक वित्तीय सहायता की योजना के लिए कलेक्टर की
अनुशंसा का प्रारूप

श्री /श्रीमती

आत्मज /पत्नि/आत्मजा.....आयु.....जो कि
जिले के ग्राम/वार्ड.....के निवासी हैं।

श्री.....एक प्रतिभा सम्पन्न
साहित्यकार/कलाकार हैं, ऐसे साहित्यकार/कलाकार को संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय,
रायपुर की मासिक वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता की अनुशंसा की
जाती है।

कलेक्टर,
जिला.....
छत्तीसगढ़।

प्रति,
संचालक,
संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय
महंत घासीदास संग्रहालय स्मारक,
सिविल लाईन, राजभवन के समीप
रायपुर, छत्तीसगढ़।

कोषालय द्वारा ई-पेमेंट हेतु मांगी गई जानकारी का विवरण

1.	खातेदार का नाम या खाते का नाम, जिस नाम से खाते का परिचालन होता है।	
2.	खातेदार का पूर्ण पता	
3.	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड (यह नम्बर सामान्यतः बैंक पर अंकित होता है, अन्यथा अपने बैंक से प्राप्त करें)	
4.	बैंक खाता जिस बैंक में है, उस बैंक शाखा का पूरा नाम एवं पता	
5.	बैंक खाता क्रमांक	
6.	खातेदार का मोबाईल नम्बर	
7.	पेन नंबर (अगर हो तो)	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त जानकारी/विवरण सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर :.....

नाम :.....

पता:.....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त खाते के संबंध में सरल क्रमांक 01 से 07 तक दी गई जानकारी सत्य है।

शाखा प्रबंधक /अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

पदमुद्रा सहित